



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2022 / 422

दर्ज तिथि:-28.12.2022

1. लेहरोदेवी पत्नी मांगाराम

कौम गुरुडा साकिन लूणवा जागीर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....वादीनी

बनाम

1. गिरधारी पुत्र हमीरा

2. वाला पुत्र अणदा

3. सवा पुत्र अणदा

कौम मेघवाल साकिन लूणवा जागीर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

4. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुडामालानी

5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुडामालानी

.....तकमिली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री हरीश चौधरी

प्रतिवादीगण:- श्री प्रागाराम बोगराज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53, 188

राजस्थान काश्तकारी अधि-1955

—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:- 12.08.2024

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वास्ते निर्णय किये जाने वास्ते पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है



कि वादीनी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 442 रकबा 1.2545 हैक्टेयर वाके लूणवा जागीर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीनी एवं प्रतिवादीगण असल की शामिलती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीनी का 7/31 हिस्सा तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीनी की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादीनी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विधिवत तामील अनुस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से एकतरफा कार्यवाही मन्सुख कर जबाव पेश करने का अवसर दिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र जिस पर वकील वादी

द्वारा सहमति दी गई। प्रकरण में वादी की तरफ से साक्ष्य प्राप्त की जाकर सहमति से प्रकरण में दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गुडामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपने पत्रांक/भूअ./2023/724 दिनांक 19.04.2023 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की। उभय पक्षकारान द्वारा तहसीलदार गुडामालानी द्वारा प्रस्तुत तकासमा रिपोर्ट पर आपत्ति जाहिर कर निवेदन किया कि विवादित आराजी में असल प्रतिवादीगण का मुताबिक रिकॉर्ड हिस्सा खसरा नंबर 443 की तरफ देने के बजाय खसरा नंबर 442/1 की तरफ देते हुए तकासमा कर दिया जाता है तो असल प्रतिवादीगण को उज्र एतराज नहीं होगा। साथ ही दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा नजरी नक्शा परिशिष्ट-‘अ’ प्रस्तुत कर माफिक नजरी नक्शा वादीनी व प्रतिवादीगण तकासमा किये जाने की सहमति दी। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं पत्रावाली पर दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की अंतिम बहस सुनी गई।

3. प्रकरण में दोनों पक्षों के अभिभाषकगण द्वारा आपसी सहमति से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट (परिशिष्ट-‘अ’) पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2074-2077 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादी एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 442 रकबा 1. 2545 हैक्टेयर वाके लूणवा जागीर तहसील गुडामालानी के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामिलती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी का 7/31 हिस्सा तथा शेष हिस्सा असल प्रतिवादीगण का दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है

एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है:-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:- प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार

की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय- अपूरणीय क्षति:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीनी अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नंबर

442 रकबा 1.2545 हैक्टेयर वाके लूणवा जागीर तहसील गुडामालानी जिला बाइमेर मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस (माफिक राजीनामा परिशिठ-'अ') नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीनी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
लेहरोदेवी पत्नी मांगाराम कौम गुरुडा सा. देह खातेदार रहन-RMGB गुडामालानी	पूर्ण	442	0.2833 हैक्टेयर	बा.सो.
किता 01 रकबा 0.2833 हैक्टेयर				
गिरधारी वल्द हमीरा कौम मेगवाल सा. देह खातेदार रहन-SBBJ गुडामालानी	263 / 607	442	0.9712	बा.सो.
वाला सवा पि0 अणदा कौम मेगवाल सा. देह खातेदार रहन-SBBJ गुडामालानी	344 / 607			
किता 01 रकबा 0.9712 हैक्टेयर				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीनी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता की आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कार्य काशत में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

उभयपक्षकारान का आपसी राजीनामा तथा राजीनामे के साथ प्रस्तुत नक्शा-परिशिष्ट-अ निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुडामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2022 / 422

दर्ज तिथि:-28.12.2022

1. लेहरोदेवी पत्नी मांगाराम

कौम गुरुडा साकिन लूणवा जागीर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....वादीनी

बनाम

1. गिरधारी पुत्र हमीरा

2. वाला पुत्र अणदा

3. सवा पुत्र अणदा

कौम मेघवाल साकिन लूणवा जागीर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

4. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुडामालानी

5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुडामालानी

.....तकमिली प्रतिवादीगण

उपस्थित

सत्यमेव

वादी अधिवक्ता:- श्री हरीश चौधरी

प्रतिवादीगण :- श्री प्रागाराम बोगराज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188

राजस्थान काश्तकारी अधि-1955

-:पर्चा डिक्री:-

निर्णय तिथि:- 12.08.2024

दावा वादीनी अन्तर्गत धारा-53, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत

तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नंबर 442 रकबा 1.2545 हैक्टेयर वाके लूणवा जागीर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस (माफिक राजीनामा परिशिठ-'अ') नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीनी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
लेहरोदेवी पत्नी मांगाराम कौम गुरुडा सा. देह खातेदार रहन-RMGB गुडामालानी	पूर्ण	442	0.2833 हैक्टेयर	बा.सो.
किता 01 रकबा 0.2833 हैक्टेयर				
गिरधारी वल्द हमीरा कौम मेगवाल सा. देह खातेदार रहन-SBBJ गुडामालानी	263 / 607	442	0.9712	बा.सो.
वाला सवा पि0 अणदा कौम मेगवाल सा. देह खातेदार रहन-SBBJ गुडामालानी	344 / 607			
किता 01 रकबा 0.9712 हैक्टेयर				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीनी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता की आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कार्य काशत में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

लेहरोदेवी बनाम गिरधारी

2022 / 422

निर्णय दिनांक:-12.08.2024

उभयपक्षकारान का आपसी राजीनामा तथा राजीनामे के साथ प्रस्तुत नक्शा-परिशिष्ट-अ निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे। अहकाम जारी हो।

यह डिक्री आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुढामालानी-बाडमेर

